भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल याचिका संख्या 6910/2021

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड .... याचिकाकर्ता

बनाम

गौरी देवी ....प्रतिवादी

निर्णय

एम. आर. शाह .....न्यायाधिपति

संजीव खन्ना, ...न्यायाधिपति

सेवा कानूनः अनुकंपा नियुक्ति- अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में देरी और अड़चनें- मृतक कर्मचारी की वर्ष 1977 में मृत्यु हो गई - सबसे बड़े बेटे द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया- इसके बावजूद मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 18 साल की अवधि के बाद, मृतक कर्मचारी की विधवा द्वारा अपने दूसरे बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए आवेदन न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को मामले पर फिर से विचार करने और दूसरे बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले द्वारा की गई थी-नियोक्ता द्वारा अपील- आयोजितः सज्जाद अहमद मीर में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार जब यह साबित हो जाता

है कि रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद परिवार बच गया है और पर्याप्त अवधि समाप्त हो गई है, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है- सज्जाद अहमद मीर में निर्धारित कानून को लागू करते हुए, प्रतिवादी का दूसरा बेटा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं है- देरी और विलंब।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय

आयोजन 1. इस तथ्य के अलावा कि विवादित निर्णय और आदेश में, खंड पीठ ने कोई विशिष्ट स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिए हैं, यह देखा जा सकता है कि संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों का वर्णन करने के अलावा, गुण-दोष पर आगे कोई चर्चा नहीं होती है और देरी और बाधाओं पर कोई चर्चा नहीं होती है।अन्यथा भी, गुण-दोष के आधार पर भी, प्रत्यर्थी विलम्ब और बाधाओं के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।[पैरा 5.1] [40-ए-बी]

2. वर्तमान मामले में, दूसरा आवेदन 18 साल की अवधि के बाद किया गया था, उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक विभाग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के दूसरे बेटे के मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश देना अस्थिर है और इसे रद्द करने और अलग रखने के योग्य है और तदनुसार इन्हें रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। [पैरा 6] [40-जी-एच]

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम

निर्वल सिंह, (2019) 6 एस. सी. सी. 774 [2019] 7 एससीआर 905;

* जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य बनाम सज्जाद अहमद मीर (2006) 5

एससीसी 766:[2006] 3 पूरक एससीआर 576-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 7 एससीआर 905 उस पर भरोसा करें पैरा 5.2

[2006] 3 पूरक एससीआर 576 उस पर भरोसा करें पैरा 5.3

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 6910/2021।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 7791/2020 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 05.02.2021 के निर्णय और आदेश से।

यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री प्रकृति रॉय, सुश्री सोनल मशनकर अपीलार्थी के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, न्यायधिपति

1. कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2020 की लिखित याचिका संख्या 7791 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और 2014 के टी. ए. संख्या १४ में पारित विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जिसमें विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को प्रतिवादी-मूल आवेदक के दूसरे बेटे के मामले पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने का

निर्देश दिया है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. यद्यपि सेवा प्रदान की गई लेकिन प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा बहुत संकीर्ण दिशा में है।

4. मृतक कर्मचारी की मृत्यु वर्ष 1977 में हुई थी।सबसे बड़े बेटे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया।उनका मामला मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू योजना के अनुसार माना जाता है, अर्थात, परिपत्र दिनांक 01.09.1975 और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

4. 1 अपने पति की मृत्यु के 18 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद, मृतक कर्मचारी की विधवा ने अपने दूसरे बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 की ओ. जे. सी. संख्या 783 के रूप में एक रिट याचिका दायर की।

4. 2 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि रिट याचिका में, अनुकंपा के आधार पर सबसे बड़े बेटे की नियुक्ति के लिए आवेदन को खारिज करने वाले दिनांकित आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी।उच्च न्यायालय के आदेश से, रिट याचिका को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे 2014 के टी. ए. संख्या 14 के रूप में पंजीकृत किया गया था।दिनांक 28.11.2019 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वत न्यायाधिकरण ने 2014 के टी. ए. संख्या 14 का निपटारा किया और अपीलार्थी को अनुकंपा रोजगार की योजना के अनुसार मृतक के दूसरे बेटे रमेश चंद्र खूंटिया के मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका 2020 की

रिट याचिका संख्या 7791 है जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

4.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और ऊपर वर्णित तथ्यों से यह पता चलता है कि मृत कर्मचारी की मृत्यु वर्ष 1977 में हुई थी और विधवा द्वारा अपने दूसरे बेटे को नियुक्त करने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए दूसरा आवेदन वर्ष 1996 में दायर किया गया था, यानी मृत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 18 साल की अवधि के बाद।

5.1 इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्ष 1977 में सबसे बड़े बेटे ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे वर्ष 1977 में खारिज कर दिया गया था और यह अंतिम रूप ले चुका है। उपरोक्त तथ्य के बावजूद, दूसरी बार आवेदन वर्ष 1996 में दूसरे बेटे की नियुक्ति के लिए दायर किया गया था, जो 18 साल की अवधि के बाद था। इस तथ्य के बावजूद कि दूसरा आवेदन करने में 18 साल की देरी हुई, दुर्भाग्य से, विद्वत न्यायाधिकरण ने फिर भी अपीलार्थी को मामले पर फिर से विचार करने और दूसरे बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश दिया विवादित निर्णय और आदेश, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है।

इस तथ्य के अलावा कि विवादित निर्णय और आदेश में खंड पीठ ने कोई विशिष्ट स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिए हैं, यह देखा जा सकता है कि संबंधित पक्षों की ओर से

प्रस्तुतियों का वर्णन करने के अलावा, गुण-दोष पर आगे कोई चर्चा नहीं होती है और देरी और बाधाओं पर कोई चर्चा नहीं होती है।चाहे वह, अन्यथा भी, गुण-दोष के आधार पर भी, प्रत्यर्थी विलम्ब और बाधाओ के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

5.2 पंजाब राज्य शक्ति निगम लिमिटेड और अन्य बनाम निर्वाण सिंह, (2019) 6 एस. सी. सी.774 के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार

दावा करने/अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी अनुकंपा नियुक्ति के दावे के खिलाफ विद्रोह करेगी क्योंकि परिवार को तत्काल सुधार प्रदान करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इस न्यायालय के समक्ष, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में 07 वर्षों की देरी हुई थी और इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि देरी के आधार पर, मृतक कर्मचारी का उत्तराधिकारी/आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

5. 3 जम्मू-कश्मीर राज्यों और अन्य बनाम सज्जाद अहमद मीर (2006) 5 एस. सी. सी. 766, के मामले में इस न्यायालय के पास अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में देरी और विलंब पर विचार करने का अवसर था। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे को खारिज करते हुए, जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु के साढ़े चार साल की अवधि के बाद किया गया था, यह माना गया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है कि सार्वजनिक पद पर नियुक्ति प्रतिस्पर्धी गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। यह आगे देखा गया है कि एक बार जब यह साबित हो जाता है कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद, परिवार बच गया और पर्याप्त अवधि समाप्त हो गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश की अनदेखी करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को लागू करना और इस तथ्य पर विचार करना कि वर्तमान मामले में दूसरा आवेदन 18 साल की अवधि के बाद किया गया था, उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश जिसमें अपीलार्थी को प्रतिवादी के दूसरे बेटे के मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया है, अस्थिर है और रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य है और तदनुसार उन्हें रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी का दूसरा पुत्र नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा देखे गए और रखे गए अनुकंपापूर्ण आधार पर। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

बेंचः

[एम. आर. शाह .....न्यायाधिपति]

[संजीव खन्ना .....न्यायाधिपति]

नई दिल्ली

निर्णय की तारीख 18 नवंबर, 2021

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा